

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)**// विविध आदेश //**

क्रमांक 266 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 15 / 12 / 2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री यशपाल सिंह सोलहवें जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में लंबित इजराय प्रकरण क्रमांक-16/2023 श्यामा देवी बनाम मदन मोहन तिवारी को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, तृतीय जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

o/c

(राकेश मोहन प्रधान)प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 6283 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 15 / 12 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. तृतीय जिला न्यायाधीश रीवा प्रकरण क्रमांक एम.जे.सी./456/2024 अनिल सिंह वि. श्यामा तिवारी मृत वगै0 मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित।
2. सोलहवें जिला न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)। प्रकरण क्र. ई.क्स.ए/16/2023 श्रीमती श्यामा देवी (मृत) मनोज कुमार तिवारी वि. मदनमोहन तिवारी (मृत) सतीश कुमार तिवारी मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा (म0प्र0)।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)